यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.), राज्य कर, ऋषिकेश** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.), राज्य कर, ऋषिकेश के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस.एस दरियाल एवं श्री बृज भूषण मणि त्रिपाठी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.11.2018 से 15.11.2018 तक श्री पी.के. गुप्ता, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रवीण कुमार, बृज भूषण मणि त्रिपाठी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 31.10.17 से 08.11.17 तक श्री हिमांशु मणि, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः ऋषिकेश, उत्तरकाशी, टिहरी का विभाग द्वारा घोषित क्षेत्र**

(ii) (अ) **राजस्व विवरणः**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹ लाख में)
2015-16	10134.89
2016-17	11920.04
2017-18	5731.00

(II) (ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)		स्थपना		गैर स्थापना (` लाख में)		आधिक्य	बचत
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	-	-	225.88	214.56	-	**11.32**
2016-17	-	-	-	-	280.09	239.41	-	40.68
2017-18	-	-	-	-	340.15	306.50	-	33.65

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
लागू नहीं					

(iii) **इकाई को बजट आवंटन** इकाई द्वारा आहरण वितरण का कार्य नहीं किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई .....A.. श्रेणी की है।

(iv) **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

सचिव- आयुक्त कर- एडिशनल कमिश्नर- ज्वाइन्ट कमिश्नर- उप आयुक्त- सहायक आयुक्त- वाणिज्य कर अधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.), राज्य कर, ऋषिकेश** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :

राजस्व: - -------- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

व्यय: - -------- को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर:- 1 कर का अनारोपण ₹4.88 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा 1 के अनुसार किसी व्योहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किए गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कर आरोपित किया जाएगा।

कार्यालय अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री दुर्गा इण्टर प्राईजेज़ टिन नं0 05008332422 फुटवियर,प्लास्टिक मोल्डड फुटवियर की खरीद व बिक्री के लिए पंजीकृत है। व्यापारी द्वारा बेलेंसशीट में निम्न लाभ दर्शाया गया था।

क्रम संख्या	मद का नाम	लाभ की धनराशि
1.	By Incentive	944569
2.	By Special Discount	46925
3.	By Cash Discount	1046154
4.	By Scheme	194941
5.	By Claim	57227
6.	By Claim Discount	32501
7.	By Rebate	974117
	योग	**3296434**

उक्त लाभ के सम्बन्ध में पत्रावली में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं पाये गये इसलिए इस लाभ को बिक्री का भाग मानते हुये ₹3296434 पर 13.5% की दर से ₹445019/- कर आरोपणीय था।

(2) व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में वार्षिक विवरणी में व्यापारिक स्थिति इस प्रकार प्रदर्शित की गयी थी:-

कर की दर	प्रारम्भिक शेष	खरीद	विक्रय	अन्तिम शेष
5% प्रांतीय	484579	135879	856278	230832
5% आयातित	1423328	1523979	-	1624030
योग	1907907	1659858	856278	1854862

बिक्री होनी चाहिए = 1907907 + 1659858 - 1854862 =1712903

प्रदर्शित बिक्री = 856278

पत्रावली की जांच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा प्रदर्शित व्यापारिक खाता में 5% की दर की वस्तुएँ ₹1712903/- को ₹856278 में विक्रय किया गया था। इसलिए व्यापारी द्वारा प्रदर्शित कम बिक्री ₹856625/- (1712903 - 856278) पर 5% की दर से कर ₹42831/-अदा किया जाना अपेक्षित था।

इस प्रकार उक्त धनराशि ₹ 487850/- (445019 +42831) को जमा करने तक 15% वार्षिक की दर से ब्याज भी देय है।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि व्यापार की सामान्य प्रकृति में विभिन्न प्रकार के लाभ यथा इनसेंटिव, डिस्काउंट, रिवेट आदि करदाताओं को लाभ प्राप्त होते हैं जो कि मूल्यवर्धित कर अधिनियम कि किसी धारा में करयोग्य नहीं है। दिवतीय विन्दु के सम्बन्ध में बताया गया कि व्यापारी स्वत: कर निर्धारण के पात्र है इसलिये इस विन्दु पर कोई आपत्ति अनुचित है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत लाभ पर ही कर की देयता बनती है। उपरोक्त इनसेंटिव, डिस्काउंट, रिवेट आदि का व्यापारी के लाभ में महत्वपूर्ण योगदान था। इसलिये विक्रेता व्यापारी से प्राप्त कर क्रेडिट नोट्स पत्रावली में लगाया जाना अपेक्षित था, जो व्यापारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गये। दिवतीय विन्दु के सम्बन्ध वार्षिक विवरणी की जांच किया जाना अपेक्षित था।

अत: कर का अनारोपण ₹4.88 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर:-2 आई. टी. सी. का अधिक लाभ दिया जाना ₹ 3.79 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार इनपुट टैक्स का लाभ जिसके लिये पंजीकृत किसी व्यौहारी हकदार होगा, कर की वह धनराशि होगी जो कर अवधि के दौरान, ऐसे प्रयोजन हेतु और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए जैसी कि इस धारा में विर्निदिष्ट है, किए गये क्रय के क्रयधन पर पंजीकृत ब्योहारी द्वारा विक्रेता व्यौहारी को भुगतान किया गया है, और जिसकी गणना ऐसी रीति से की जायेगी जैसी कि विहित की जाए।

कार्यालय उपायुक्त (राज्य कर) ऋषिकेश के अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री गढ़वाल स्टील टिन नं0 05003725989 सीमेंट की खरीद-बिक्री के लिए पंजीकृत है। व्यापारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 में ₹65771558/- की खरीद एवं ₹ 66122584/- की बिक्री दिखाई गयी थी। इस खरीद ₹ 65771558 के सापेक्ष ₹ 2809078.53 का क्रेडिट दर्शाते हुए सकल खरीद ₹62962479 दर्शाई गयी थी। व्यापारी द्वारा ₹65771558 की खरीद पर 13.5% की दर से ₹ 8879164/- की आई टी सी की मांग की गयी थी।

पत्रावली की जांच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा खरीद से क्रेडिट को घटाने के साक्ष्य हेतु डेविट,क्रेडिट नोट्स पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किये गये। एवं विभाग द्वारा सकल खरीद ₹ 62962479.50 मानी गयी थी। इसलिए विभाग द्वारा ₹ 62962479/- पर 13.5% की दर से ₹8499934/- की आई टी सी का लाभ दिया जाना अपेक्षित था।

इस प्रकार विभाग द्वारा ₹ 379230/-(8879164- 8499934) की आई टी सी का अधिक लाभ दिया गया था। इस धनराशि को जमा करने तक 15% वार्षिक की दर से ब्याज भी देय है।

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया विक्रेता से प्राप्त कस्टूमर लेजर की प्रति प्रस्तुत की गयी जिसमें क्रेडिट की गयी धनराशि के विरूद्ध कोई कर की धनराशि का लाभ कम नहीं किया गया था।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेजर में डेविट या क्रेडिट करते समय कर की राशि अलग से इंगित नहीं की जाती है। कर की राशि क्रेडिट डेविट नोट्स में ही अलग से इंगित की जाती है, जो पत्रावली में नहीं पाये गए।

अत: ₹3.79 लाख की आई टी सी का अधिक लाभ दिये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर- 3 अर्थदंड का अनारोपण ₹2.78 लाख|

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58 (1)(Vii) के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देयकर युक्ति युक्त कारण के बिना अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया जाता है तो देय कर का कम से कम 10 प्रतिशत अर्थदण्डआरोपणीय होगा।

माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा आनन्द विशि को वाबनाम आयुक्त व्यापार कर दिनांक 18.06.2007 के निर्णय के अनुसार यदि ब्याज जमा हो जाता है तो भी अर्थदण्ड आरोपणीय है।

कार्यालय डिप्टी कमिश्नर (क.नि.) - प्रथम, राज्य कर, ऋषिकेश के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि संलग्न सूची के अनुसार व्यापारियों द्वारा अपना स्वीकृत कर **₹**2780958/- बिना किसी युक्ति-युक्त कारण के विलम्ब से जमा किया गया था। जिस पर नियमानुसार कम से कम 10 प्रतिशत की दर से **₹**278095.8 का अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

विभाग को इस सम्बन्ध में इंगित करने पर संलग्न सूची के क्रमांक 1 से 5 तक के व्यापारियों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा बताया गया कि मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 58(I) में अनिवार्य रूप से अर्थदण्ड का प्रावधान नहीं है। चूंकि व्यापारियों द्वारा मात्र दो से पन्द्रह दिन विलम्ब से कर जमा कराया गया है जिसका संज्ञान में लेते हुए अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया। क्रमांक 06 से 08 के व्यापारियों के संबंध में विभाग द्वारा जांचोपरान्त अवगत कराने की बात कही गयी है। क्रमांक 09 के सन्दर्भ में विभाग द्वारा बताया गया कि कर नियमानुसार समयान्तर्गत जमा किया गया है। उत्तर मान्य नहीं है क्यूंकि विलम्ब से जमा कर पर अर्थदंड अरोपणीय होता है |

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

विलम्ब से जमा कर का विवरण

क्रम सं.	व्यापारी का नाम	क.नि. वर्ष	धनराशि(**₹)**	निर्धारित तिथि	जमा करने की तिथि	विलम्ब शुल्कअर्थदण्ड (**₹**)
1.	सर्व श्री सूरजभान एंडसंस ऋषिकेश	2014-15	291342(अप्रैल) 87720(अगस्त)	20-05-14 20-09-14	24-05-14 24-09-14	29134.20 8772.00
2	सर्व श्री कोशिश फूड्स कंपनी डालवाला	2014-15	128950(जून) 27990(जुलाई) 21997(अगस्त) 7398(अगस्त) 107588(मार्च)	20-07-14 20-08-14 20-09-14 20-09-14 20-04-14	23-07-14 24-08-14 22-09-14 22-09-14 25-04-14	12895.00 2799.00 2199.70 739.8 10758.8
3.	सर्व श्री कॉम्पकेयर ऋषिकेश	2014-15	29282(प्रथम तिमाही) 33953 (तृतीय तिमाही) 61670 (चतुर्थ तिमाही)	20-07-14 20-01-15 20-04-15	25-08-14 31-01-15 20-05-15	2928.20 3395.30 6167.00
4.	विनोद कुमार एंड कंपनी , ऋषिकेश	2015-16	10688 (अप्रैल) 34725 (जून) 35695 (सितम्बर) 38980 (दिसम्बर)	20-05-15 20-07-15 20-10-15 20-01-16	25-05-15 24-07-15 31-10-15 30-01-16	1068.80 3472.50 3569.50 3898.00
5.	सर्वश्री जय माँ दुर्गा , प्रगति विहार, ऋषिकेश	2014-15	250000(फ़रवरी)	20-03-15	27-03-15	25000
6.	मै0 डेज मेडिकल	2014-15	361671(अप्रैल) 210011(मई)	20-05-14 20-06-14	20-06-14 25-06-14	36167.10 21001.10
7.	मै0 बर्धमानइंडस्ट्रीज़	2013-14	602438(प्रथम, द्वितीय, तृतीय,चतुर्थ तिमाही)		26-03-15	60243.80
8.	मै0 रणजीत सिंह एंड कंपनी	2013-14	193862 (अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर,) 166630 (जनवरी, फ़रवरी)	25नवम्बर, 25 दिसम्बर, 25 जनवरी) 25 फ़रवरी, 25 मार्च	27-3-14 27-03-14	19386.20 16663.00
9.	जयपुर गेम्स सेण्टर	2013-14	78368(मार्च)	20-04-2014	23-04-14	7836.80
	योग		2780958		कुलयोग	278095.8/-

भाग- 2 (अ)

प्रस्तर -1 अर्थदण्ड का अनारोपण ₹10.53 लाख।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 10 (b) के अनुसार रजिस्ट्रीकृत व्योहारी होते हुए किसी वर्ग का माल क्रय करते समय यह मिथ्या जाहिर करेगा कि माल के ऐसे वर्ग उसके पंजीयन प्रमाण पत्र के अंतर्गत है तो उक्त अधिनियम की धारा 10 (a) द्वारा शास्ति के रूप में उतनी राशि उस पर अधिरोपित की जाएगी जितनी उस कर के 1.5 गुने से अधिक न हो जो उस माल पर उसको किए गए विक्रय के बावत उस दशा में उद्ग्रहीत किया जाता यदि विक्रय उस उपधारा के अंतर्गत आने वाला विक्रय होता।

कार्यालय उपायुक्त, कर निर्धारण, राज्य कर, ऋषिकेश के लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि व्यापारी मैसर्स बंसल ट्रेडिंग कम्पनी टिन नंबर -05003962492 कर निर्धारण वर्ष - 2015-16 फर्म पंजीकृत है। ब्यापारी द्वारा तिमाही रूप पत्र दाखिल किए गए है। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में कुल 35 फार्म सी से ₹136146606.39 का wire, gabbion box, wield mesh एव GI Mesh प्रांत बाहर से मंगाया था। ब्यापारी के पंजीयन में "All other metals, scraps and Alloys including sheets and circles used in the manufacture of BRASS WARES AND COPPER WARES उल्लिखित है। प्रांत बाहर से प्रपत्र सी से क्रय की गई वस्तुओ में ₹14045472 gabbion box, wield mesh एव GI Mesh क्रय की गई है, जो पंजीयन प्रमाण पत्र में उल्लिखित नहीं है
उक्तानुसार कुल अनाधिकृत क्रय पर कर का डेढ़ गुणा ₹ 10,53,410.39 (14045472 x 5% = 702273.59 x 1.5) अर्थदण्ड आरोपित कर वसूला जाना था, जिसे विभाग के द्वारा वसूला नहीं गया।

उक्त को इंगित करने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि "इस संबंध में उल्लेख करना है कि कॉपर एवं ब्रास वायर भी समान्यतः वायर की श्रेणी में आते है। इस प्रकार व्यापारी द्वारा आयातित खरीद सूची में उल्लेखित शब्द वायर को अनाधिकृत खरीद नहीं माना जा सकता है। लेकिन विभाग ने gabbion box, wield mesh एव GI Mesh के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया।

अतः विभाग के उत्तर को स्वीकारते हुए शेष उक्त को अनाधिकृत खरीद मानते हुये कर का डेढ़ गुणा ₹10.53 लाख का अनारोपण का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

(ii) आगे अभिलेखों की जाँच में यह भी पाया कि फर्म मालकिन द्वारा शपथ पत्र में घोषित किया था कि "किसी भी प्रकार के विभागीय प्रपत्र यथा 31 व सी का प्रयोग नहीं करूंगी (18/10/1997)। लेकिन कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से 2006-07 तक (केंद्रीय पंजीकरण से पूर्व) फर्म द्वारा केंद्रीय प्रपत्रों का प्रयोग किया जाता रहा। गोपनीय पत्रावली में फर्म का केंद्रीय पंजीयन में पंजीकृत होने का कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। फर्म दिनांक 14 nov 2007 से केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र धारक है। नियमानुसार फर्म द्वारा 2000-2001 से 2006-2007 तक की गई अंतर्राज्यीय व्यापार अनाधिकृत था। जिस पर तत्समय लागू कर की दर का डेढ़ गुणा कर आरोपित कर वसूला जाना था, जो कि विभाग के द्वारा नहीं वसूला गया।

उक्त को इंगित करने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि व्यापारी द्वारा केंद्रीय पंजीयन की तिथि से पूर्व ही विगत वर्षो के कर निर्धारण आदेशों के अनुसार केंद्रीय बिक्री का संव्यवहार किया जा रहा है। इस संबंध में जांच कर पृथक से अवगत कराया जाएगा।

अतः बिना केंद्रीय पंजीयन के ही अनाधिकृत केंद्रीय व्यापार किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'क' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ख' प्रस्तर संख्या	सम्पूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
SRG-CT-01/2006-07	2,3	1,2	
SRG-CT-10/2008-09	1	2	
SRG-CT-34/2009-10	1,2	-	
SRG-CT24/2010-11	2,3	1	
SRA-CT-30/2011-12	-	1	
RS-CT-05/2012-13	-	1	
RS-CT-05/2014-15	-	1	
RS-CT-31/2015-16	1,2,3,4	1,2	
RS-CT-16/2016-17	-	1,2,3	
CT-98/2017-18	-	1	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या भाग-2 अ	प्रस्तर संख्या भाग-2 ब	अनुपालन आख्या	

NOTE:- प्रस्तावित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या साक्ष्य सहित उच्चाधिकारियों के माध्यम से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराये जिससे पूर्ण निस्तारण किया जा सकें।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.), राज्य कर, ऋषिकेश** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री संजीव सोलंकी	उपायुक्त

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उपायुक्त (क.नि.), राज्य कर, ऋषिकेश** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र